

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-42/2023 (2023/107) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगु पुत्र पेमा कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजेश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रायमल पुत्र पेमा कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायरी पत्नि अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाथुलाल पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्यारचन्द्र पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कस्तुरचन्द्र पुत्र रेवत बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मंसुरी -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 383 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 389 रकबा 0.73 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.54 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 97 पर दर्ज हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 01.02.2023 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त विपक्षी आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान करा जावे।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 383 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 389 रकबा 0.73 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.54 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 97 पर दर्ज हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—42/2023 (2023/107) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मांगु पुत्र पेमा कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजेश पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रायमल पुत्र पेमा कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायरी पत्नि अमरचन्द कुमावत निवासी डेलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाथुलाल पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्यारचन्द्र पुत्र सुरजमल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कस्तुरचन्द्र पुत्र रेवत बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 16.05.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथलपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 383 रकबा 0.90 है0, आराजी संख्या 384 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 385 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 389 रकबा 0.73 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.54 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 97 पर दर्ज हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा